न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–31 / 2017 / 223 आर.टी.एक्ट (2017 / 00031)

1. लालसिंह पुत्र लाडूसिंह
2. संतोष पुत्र लाडूसिंह
दोनों जाति रावत, निवासी गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र तेजा
2. सोहन सिंह पुत्र तेजा
3. देवा पुत्र तेजा
4. श्रीमती घीसी बेवा तेजा
5. नाबूसिंह पुत्र सुवा
6. हेमेन्द्र सिंह पुत्र सुवा **(फौत)** जरिये वारिसानः–
6 / 1 सन्तु बेवा हेमेन्द्र उर्फ महेन्द्र सिंह
6 / 2 ज्योती पुत्री हेमेन्द्र उर्फ महेन्द्र सिंह दोनो जाति रावत निवारी ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
7. श्रीमती जमनी देवी बेवा सुवा
8. श्रीमती लाली पुत्री सुवा
9. श्रीमती पुष्पा पुत्री सुवा
समस्त जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
10. श्रवणसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

वादीगण / रेस्पोडेन्टस

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार , ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 101 / 2013.

उपस्थितः–
1. श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री चंद्रदेव सांखला, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 5, 7, 8.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 11.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4, 6 / 1,6 / 2, 9, 10 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः–21.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा पत्र संख्या 101/2013 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस व शेष रेस्पोडेंटस उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1480 रकबा 00–11–00 भूमि वादीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण संख्या 01 से 09 ने वादी संख्या 10 को मुख्त्यार आम नियुक्त किया हुआ है। मुख्त्यार आम द्वारा इस पर बोई गई ज्वार बाजरे की फसल को प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की माता एवं पत्नियों ने फसल काट कर ले जाने की धमकी दी है। गत वर्ष भी प्रतिवादी संख्या 01व 02 ने लडाई–झगड़ा किया था। अतः प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वादी की आराजी में दखलदांजी एवं फसल को नुकसान पहुँचाने आदि से निषेध किया जावें। वाद पत्र दर्ज किया गया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से जवाब में कथन किया कि विवादित भूमि वादी संख्या 01 से 09 के पूर्वज तेजा पुत्र उजीरा की खातेदारी में थी जो भाई बंटवारे से उसके चचेरे भाई नारायण पुत्र भूरा के हिस्से में आई स्व. नरायण ने यह भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता स्व.लाडू सिंह पुत्र पूनम सिंह को बिल एवल प्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.03.1991 को विक्रय कर दी और कब्जा लाडू सिंह को संभला दिया तब से लाडू सिंह का तथा उनकी मृत्यु के बाद से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को विवादित भूमि में सबकी जानकारी में चला आता है। मुख्त्यार आम को कोई भूमि का अधिकार नही है वह वाद लाने का अधिकारी नही है। अतः वाद सव्यय निरस्त किया जावे। तत्पश्चात पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प गोहाना मे पेश की गई। मुख्त्यारआम श्रवण उपस्थित हुए। प्रतिवादी पत्र को दृष्टगत रखते हुए तनकियात बनाई गई तथा वाद पत्र को स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय/डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, नोटिस की प्रोपर तामील कराई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 04, 6/1, 6/2, 9, 10 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 05, 7, 08 बरवक्त बहस उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही लिखित बहस प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व वाद के कथनों को पूर्णतया इंकार किया गया । प्रकरण पेशी दिनांक 23.5.2016 तक वास्ते कायमी तनकियात चलता रहा व दिनांक 23.5.2016 को प्रकरण लोक अदालत हेतु केम्प कोर्ट गोहाना में पेशी दिनांक 26.5.2016 में रखा गया। उक्त बाबत कोई नोटिस अपीलांटस को जारी नहीं किए गए एवं दिनांक 26.5.2016 को बिना

व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांटस को सुनवाई किए एक पक्षीय तौर पर ही निर्णय पारित कर दिया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित अनुसार दावा व जवाबदावा आने पर प्रकरण में तनकियात कायम करने के उपरांत पक्षकारान से विधिवत साक्ष्य एवं सबूत लिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। जिससे प्रकरण का विधिवत निर्णय हो। प्रस्तुत प्रकरण में वास्ते कायमी तनकियात नियत था। जिस पर न्यायालय वादीगण एवं प्रतिवादीगण के गवाह बयान पूर्ण करते एवं बहस सुनने के पश्चात निर्णय पारित करते। लोक अदालत की भावना से निर्णित किए जाने वाले प्रकरण में जहां कि पक्षकारान स्वयं उपस्थित होकर सहमतिवश किसी प्रकरण का निस्तारण कराना चाहते हो परंतु ऐसी स्थिति नहीं होने पर पुनः पेशी हेतु नियत किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/रेस्पोंडेंट द्वारा गलत एवं बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित वाद पत्र को प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा पूर्णतया ही इंकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा यह भी अंकित किया कि अपीलांटस का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त, एवं सरोकार नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा उक्त आराजी विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा आराजी है जिस पर क्रय दिनांक से निरंतर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजीनामा या सहमति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता एवं ना ही ऐसा प्रकरण लोक अदालत की भावना से निर्णित हो सकता था। वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे वह प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में लाने का अधिकारी ही नहीं था। ऐसी स्थिति में वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया मेंटनेबल नहीं था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त असमायत योग्य वाद पत्र में प्रथम दृष्टया ही वादीगण का पक्ष मानते हुए प्रतिवादीगण/अपीलांटस को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का जो निर्णय पारित किया वह विधि विरूद्ध है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण में केवल फोर्मल पक्षकार है।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांटस एवं राजकीय अभिभाषक के द्वारा की गई वहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित पत्रावली तनकीयात हेतु लंबित थी तथा उक्त पत्रावली दिनांक 26.5.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गोहाना में सुनवाई हेतु नियत की जाकर उक्त दिनांक को ही उक्त राजस्व वाद का निर्णय पारित कर दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित अनुसार दावा व जवाब दावा आने पर प्रकरण का विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए, जिससे प्रकरण का विधिवत निर्णय हों। अधीनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त आराजीयत बावत उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है।अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.5.2016 को निरस्त किया जाकर उक्त पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें।

[illegible] अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए,तनकीयात पर साक्ष्य लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.12.2022 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Compared by-